

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खंड पन्ना, म0प्र0

निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 8/13-14

पन्ना, दिनांक : 9-5-2013

संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचना

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में पृथक-पृथक मोहरबंद निविदायें प्रपत्र 'अ' प्रतिशत दर पर निम्नलिखित कार्य स्टेन्ड पोस्ट निर्माण कार्य प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग म.प्र. भोपाल के द्वारा दिनांक 15.06.2009 से जारी यू.एस.ओ.आर. पर, जारी दिनांक तक संशोधनों पर नवीन प्रणाली (लोक निर्माण विभाग के द्वारा) के तहत सी श्रेणी व उससे उच्च श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 21-5-2013 को अपरान्ह 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदायें उसी दिन अपरान्ह 3:30 बजे उपस्थिति निविदाकारों या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। कोरे निविदा प्रपत्र दिनांक 20-5-2013 तक कार्यपालन यंत्री, लोक स्वा. यांत्रिकीय विभाग खंड पन्ना के कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त किए जा सकते हैं।

**कार्य का विवरण-** पन्ना जिले के अजयगढ़ विकासखण्ड के अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में पेयजल योजनांतर्गत नलजल योजनाओं हेतु **1.2x1.2** मी.स्टेन्ड पोस्ट निर्माण, ।


ग्रुप क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रु. लाख में)	अमानत की राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	ठेकेदार की श्रेणी	कार्य पूर्ण करने की अवधि वर्षाकाल छोड़कर
1	2	3	4	5	6	7
	पन्ना जिले के विभिन्न विकासखंडों के विभिन्न ग्रामों में <b>1.2x1.2m</b> के स्टेन्ड पोस्ट निर्माण,					
ए-1	विकासखंड अजयगढ़ : 1. ग्राम वीरा 5नग 2. रामनई 5नग 3. राजापूर 5नग 4. खौरा 5नग 5. सबदुआ 5नग	0.75	1500/-	1000/-	"सी" एवं उससे ऊपर	20 दिवस
	कुल 25 नग					

ए- 2	विकासखंड अजयगढ़ :					
	1 बरियारपुर कुर्मियान	2 नग				
	2 खोरा मक्षपटिया	2 नग				
	3 किशनपुर	2 नग				
	4 निमहा	2 नग				
	5 पेरहा	2 नग				
	6 सिमरा कला	2 नग				
	7 बरकोला खुर्द	2 नग				
	8 बहिरवारा	2 नग				
	9 जिगनी	2 नग	1.02	2040/-	1000/-	"सी" एवं उससे ऊपर
	10 लोढापुरवा	2नग				
	11 सिमरदा	2नग				
	12 बीहरसरवरिया	2नग				
	13 गडरपुर	2नग				
	14 भानगुरैया	2नग				
	15 भीना	2नग				
	16 लायचा	2नग				
	17 छतैनी	2नग				
	कुल	34नग				20 दिवस

**नियम एवं शर्त :-**


- कार्य जिले के किसी भी ग्राम में परिवर्तित किया जा सकता है।
- इस कार्य में एक ही चल देयक का भुगतान किया जायेगा। उपरोक्त निविदाओं में स्टेन्ड पोस्ट निर्माण कार्य प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग म.प्र. भोपाल के द्वारा दिनांक 15.06.2009 से जारी यू.एस.ओ. आर. पर आधारित है।
- ठेकेदारों द्वारा उक्त यू.एस.आर. पर अलग प्रतिशत दरें देना होगी। समस्त संशोधन निविदा जारी होने के दिनांक तक के लागू होंगे।
- यह केवल संक्षिप्त निविदा सूचना है कार्य का विस्तृत विवरण जैसे ड्राइंग स्पेशीफिकेशन तथा कार्य की विस्तृत शर्त कार्यालयीन समय के दौरान निविदा प्राप्ति से एक दिन पूर्व तक संबंधित कार्यालयों से ठेकेदारों द्वारा देखी जा सकेगी।
- शासन द्वारा निर्धारित टेक्स और रायल्टी आदि ठेकेदार को देना होगी।
- कोरे निविदा प्रपत्र डॉक से प्राप्त करने के लिए रु. 100.00 अलग से देना होगा। डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त होने या गुम जाने की जबाबदारी विभाग की नहीं होगी। निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले निविदा प्रपत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।
- निविदा में सम्मिलित कार्य की मात्रा घटाई / बढ़ाई जा सकती है।
- कार्य आवंटित करते समय योजना /ग्रामों की संख्या में कमी किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
- निविदा की दरों की वैधता 120 दिन तक रहेगी।
- सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- धरोहर राशि ब्याज धारित प्रतिभूति के रूप में जो राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा जारी की गई हो ही मान्य की जावेगी।
- पुरानी जमा धरोहर राशि का समायोजन नहीं किया जावेगा।
- धरोहर राशि के बिना निविदायें खोली नहीं की जावेगी।

14. सक्षम अधिकारी को अधिकार होगा कि सभी निविदायें को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है।
15. कार्य के दौरान किसी हानि एवं दुर्घटना की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की ही होगी।
16. कार्य लक्ष्य एवं आवंटन की उपलब्धता के आधार पर आवंटित किया जावेगा।
17. कार्य स्थल पर सावधानी सूचना संकेत का उपयोग ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर करना आवश्यक होगा।
18. यह सकर्म निविदा होगी। अतः म.प्र. वाणिज्य कर अधिनियम से धारा 35 (1) के अनुसार वर्क्स कान्ट्रैक्ट पर 2 प्रतिशत की दर से वाणिज्य कर कटौती ठेकेदार के देयक से की जावेगी। एवं प्रपत्र 42 के प्रमाण पत्र पर दिया जावेगा।
19. म.प्र. वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्र. 264/आर.-444/ब-1/2009 भोपाल दिनांक 31 मार्च 2009 के अनुसार निविदाकार का पंजीयन वाणिज्य कर विभाग अंतर्गत होना आनिवार्य है (टिन नम्बर) प्रमाण- पत्र की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है। अन्यथा निविदा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
20. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ ठेकेदार को निम्न दस्तावेज आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा, नहीं तो आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा -
  - 1/- उचित श्रेणी में वैध पंजीयन की प्रति
  - 2/- पार्टनरशिप डीड की प्रति
  - 3/- पैन कार्ड की प्रति एवं आयकर विभाग से आयकर चुकता प्रमाण पत्र वर्ष 2012-13 एवं 13-14 की प्रति।
  - 4/- हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति का अधिकार पत्र
21. कार्य / सामग्री का भुगतान आवंटन के आधार पर किया जावेगा। सामग्री की की टूट -फूट की जबाबदारी फर्म की होगी।
22. सामग्री के कार्य स्थल तक परिवहन हेतु कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
23. कार्यालय की स्वीकृति के बिना सबलेटिंग नहीं किया जावेगा।
24. सभी सामग्री ठेकेदार को अच्छी गुणवत्ता की लगानी होगी

  
कार्यपालन यंत्री  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड  
पन्ना, म0प्र0

पृ0क0 / 1679 / व0ले0लि0 / का0यं0 / ले0स्वा0यां0 / खण्ड / 13 पन्ना, दिनांक : 9/5/13  
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश भोपाल ।
2. मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्वालियर परिक्षेत्र ग्वालियर ।
3. अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सागर मण्डल सागर ।
4. कलेक्टर जिला पन्ना ।
5. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड छतरपुर / टीकमगढ / सागर / दमोह
6. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण संभाग पन्ना / जल संसाधन विभाग पन्ना / ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पन्ना
7. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड पन्ना / पवई
8. एन0आई0सी0 पन्ना
9. सहायक संचालक, जनसंपर्क पन्ना
10. अध्यक्ष, ठेकेदार संघ पन्ना की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
11. नोटिस बोर्ड

  
कार्यपालन यंत्री  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड  
पन्ना (म0प्र0)